

विश्वभारती

अधिसूचना

सर्व संबंधित के सूचनार्थ यह सूचित किया जाता है कि डॉ. विकास मुखोपाध्याय ने विश्वभारती अधिनियम 1951 की धारा 16 के साथ विश्वभारती संविधि के परिनियम 5 के अनुसार 12 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न में विश्वभारती के कुलसचिव (कर्म-सचिव) कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं।

ज्ञापन सं. स्था/ई-1/नियुक्ति/2025-2026
दिनांक : 12.09. 2025

हस्त/-
कुलसचिव
विश्वभारती

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत की माननीया राष्ट्रपति एवं कुलाध्यक्ष (परिदर्शक) के सचिव, विश्वभारती
2. भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं कुलपति (आचार्य) के सचिव, विश्वभारती
3. पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल एवं कुलदेशिक (प्रधान), विश्वभारती
4. सचिव शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
6. सभी भारतीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
8. संसद सदस्य (कोर्ट), विश्वभारती
9. कर्मसमिति सदस्य (कार्यकारिणी परिषद), विश्वभारती
10. अर्थसमिति सदस्य (वित्त समिति), विश्वभारती
11. निदेशक (सीयू-III), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली
12. जेनिफर तिकी, अवर सचिव (सीयू-III), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली
13. भवन/विभाग के निदेशक/अध्यक्ष/प्रिंसिपल, विश्वभारती
14. विश्वभारती के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विभागों/केंद्रों/अनुभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
15. डॉ. विकास मुखोपाध्याय, कुलसचिव, विश्वभारती
16. श्री अशोक कुमार महतो, संयुक्त कुलसचिव, विश्वभारती
17. संयुक्त कुलसचिव (लेखा), विश्वभारती
18. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव, विश्वभारती
19. उप कुलसचिव (स्थापना), विश्वभारती
20. सहायक कुलसचिव (भर्ती), विश्वभारती
21. सहायक कुलसचिव (बैठक), विश्वभारती – अनुरोध है कि कार्यकारी परिषद में रिपोर्ट हेतु।
22. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ - अनुरोध है कि हिंदी अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड की व्यवस्था करें।
23. प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र – कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
24. डॉ. विकास मुखोपाध्याय एवं श्री अशोक कुमार महतो का व्यक्तिगत फाइल